प्रेस नोट पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद दिनांक 14.12.2024

थाना मोदीनगर पुलिस द्वारा बैंक लॉकर से हुई चोरी की घटना का सफल अनावरण, 01 अभियुक्ता गिरफ्तार,कब्जे से चोरी के सोने व चाँदी के लगभग 30 लाख रुपये के आभूषण बरामद।

दिनांक 25.10.2024 को थाना मोदीनगर पर आवेदिका श्रीमति ईशा गोयल पत्नी श्री अंकुश गोयल निवासी आदर्शनगर गुरुद्वारा रोड मोदीनगर गाजियाबाद द्वारा उपस्थित थाना आकर एक प्रार्थनापत्र दिया गया कि अज्ञात चोर द्वारा राज चौपला मोदीनगर के बैंक आँफ बडौदा में आवेदिका के लॉकर में से करीब 40-42 तोला सोना व करीब 50-60 तोले चाँदी चोरी कर लेने जाना। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना मोदीनगर पर तत्काल सुंसगत धारा 305 BNS में अभियोग पंजीकृत किया गया तथा घटना के सफल अनावरण के लिए 02 टीमों का गठन किया गया। तत्पश्चात आज दिनांक 14.12.2024 को थाना मोदीनगर पुलिस मुकदमा उपरोक्त की घटना मे संदिग्ध प्रिया गर्ग पत्नी नितिन गर्ग निवासी मोदी इन्टर कालेज के सामने आदर्श नगर मोदीनगर थाना मोदीनगर जनपद गाजियाबाद को लेकर माल बरामदगी हेतु उसकी निशादेही पर उसके मस्कन के पास पहुंचे तथा उसकी निशादेही पर मस्कन की तलाशी ली गई तो मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित चोरी किये गये आभूषण मिले। अभियुक्ता प्रिया गर्ग उपरोक्त को बरामदशुदा माल सहित हिरासत पुलिस में लिया गया तथा मुकदमा उपरोक्त में बरामदगी के आधार पर धारा 317(2) BNS की वृद्धि की गई।

पूछताछ का विवरण –

अभियुक्ता ने पूछताछ करने पर बताया कि साहब मेरा भी बैक आँफ बडौदा मोदीनगर में ईशा गोयल के बराबर वाला ही लाँकर है जिसको मैं तथा मेरे पति ही ऑपरेट करते हैं। दिनांक 19.10.2024 को जब हम पति – पत्नी अपने लॉकर को ऑपरेट करने बैंक गये तो देखा कि पास वाला लॉकर बी - 42 खुला पडा है जिसको खोल कर हमने देखा तो अन्दर पडे सोने – चाँदी के आभूषण को देखकर हमारा मन में लालच आ गया। फिर हमने उक्त आभूषण को चुरा लिया। हम पति – पत्नी इन आभूषण को बेचने का मन बना रहे थे कि आज आपने मुझे पकड लिया।

गिरफ्तार अभियुक्ता का नाम पता-

प्रिया गर्ग पत्नी नितिन गर्ग निवासी मोदी इन्टर कालेज के सामने आदर्श नगर मोदीनगर थाना मोदीनगर जनपद गाजियाबाद, उम्रकरीब 30 वर्ष।

वांछित अभियुक्त-

नितिन गर्ग पुत्र स्व0 धनेश्वर प्रसाद गर्ग (अभियुक्ता का पति)

बरामदगी का विवरण-

सोना लगभग 361 ग्राम (आभूषण)

चाँदी लगभग 1.029 किलो ग्राम (आभूषण)

पंजीकृत अभियोंग –

उपरोक्त प्रकरण के सम्बन्ध में थाना मोदीनगर पर 01 अभियोंग पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

थाना मोदीनगर पुलिस टीम।

थाना मुरादनगर पुलिस द्वारा बर्खास्त होने के बाद भी पद का दुरुपयोग कर षडयंत्र रचकर कूटरचित फर्जी सर्टिफिकेट उपलब्ध कराने वाला बर्खास्त सम्भागीय निरीक्षक अभियुक्त गिरफ्तार।

दिनांक 25.08.2024 को थाना मसूरी पर 01 अभियोग अन्तर्गत धारा 420,120-बी,406,467,504,506 भादवि बनाम जेटली आदि 06 अभियुक्तों के विरुद्ध पंजीकृत किया गया, जिसकी विवेचना थानाध्यक्ष थाना मुरादनगर द्वारा सम्पादित की जा रही है। विवेचना के क्रम में बर्खास्त सम्भागीय निरीक्षक मनीष पुरी पुत्र स्व0 यश कुमार पुरी निवासी प्रिंटर अपार्टमेंट सैक्टर–13 रोहिणी थाना प्रशान्त विहार दिल्ली, उम्र करीब 55 वर्ष का नाम प्रकाश में आया। जिसकी गिरफ्तारी हेतु टीम गठित की गयी।

तत्पश्चात दिनांक 13.12.2024 को उपरोक्त अभियोग में प्रकाश में आये अभियुक्त बर्खास्त निरीक्षक मनीष पुरी पुत्र स्व0 यश कुमार पुरी निवासी प्रिंटर अपार्टमेंट सैक्टर–13 रोहिणी थाना प्रशान्त विहार दिल्ली, उम्र करीब 55 वर्ष को रोहिणी थाना प्रशान्त विहार दिल्ली से गिरफ्तार किया गया। अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण

पूछताछ के दौरान अभियुक्त ने बताया कि मैं मोटर व्हीकल इंस्पैक्टर (सम्भागीय निरीक्षक) के पद पर तैनात था। 12 वर्ष से मेरी विभागीय जांच चल रही थी जिसके परिपेक्ष में दिल्ली सरकार द्वारा कार्यवाही करते हुए मुझे दिनांक 10.08.2022 को बर्खास्त किया गया था। दिनांक 07.09.2024 को यू.पी. पुलिस के उपनिरीक्षक मेरा ब्यान लेने आए थे उस समय मैं बर्खास्त था, लेकिन मेरे द्वारा लालच में आकर अपने साथी रोहित भसीन एवं अन्य के बहकावे में आ गया और ऐसे अपराध को अंजाम दिया। मैं व मेरे अन्य साथी मिलकर मोटा मुनाफा कमाना चाहते थे, कुछ मामलों में अच्छा रुपया हमने कमाया भी है फिर शकील व अम्बर जेटली ने कुछ जमीन ग्राम राघोपुर थाना छावला नई दिल्ली दिखाई थी, मैंने ही उक्त साथियों के साथ मिलकर कूटरचित फर्जी सर्टिफिकेट उपलब्ध कराया था जिससे प्राप्त रुपये का लाभ सभी ने उठाया था। सी.बी.आई. में वर्ष 2014 व 2016 में मेरे खिलाफ और भी मुकदमे लिखे हुए थे। मैं बर्खास्त होने के बाद भी यूपी पुलिस के उपनिरीक्षक को बाबर्दी दुरस्त मिला था।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम/पता

मनीष पुरी पुत्र स्व0 यश कुमार पुरी निवासी प्रिंटर अपार्टमेंट सैक्टर–13 रोहिणी थाना प्रशान्त विहार दिल्ली, उम्र करीब 55 वर्ष।

अपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग

अभियुक्त के विरुद्ध थाना मसूरी पर धोखाधडी का 01 अभियोग पंजीकृत है तथा सीबीआई दिल्ली में पीओसी एक्ट के 02 अभियोग पंजीकृत हैं। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तारी करने वाली टीम-

थाना मुरादनगर पुलिस टीम।

थाना लोनी पुलिस द्वारा वाहन चोरी व मोबाइल छिनैती करने वाले 02 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से चोरी की मोटरसाइकिल बरामद।

दिनांक 13.12.2024 को थाना लोनी पुलिस टीम द्वारा चेकिंग के दौरान वाहन चोरी करने वाले 02 अभियुक्त 1.राजन पुत्र बाबूलाल निवासी यूनियन बैंक के पास आरा कम्पाउण्ड गोकलपुरी थाना गोकलपुरी दिल्ली, उम्र करीब 19 वर्ष2 . सोएब उर्फ गोलू पुत्र अबरार निवासी अशोक विहार पुराना चैक पोस्ट लोनी थाना लोनी गाजियाबाद, उम्र करीब 25 वर्ष को चौकी क्षेत्र रुपनगर थाना लोनी गाजियाबाद से गिरफ्तार किया गया जिनके कब्जे से दिल्ली से चोरी गई मोटरसाइकिल बरामद हुई । अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण-

अभियुक्तों ने पूछताछ करने पर बताया कि हम दोनों आपस में दोस्त हैं। हम दोनों दिल्ली एनसीआर से वाहन चोरी कर उन्हें सस्ते दामों में राह चलते व्यक्तियों को बेच देते हैं। यह बाइक हमने कुछ महीने पहले दिल्ली से चोरी की थी। दिनांक 07.12.2024 को हमने चौकी क्षेत्र कस्बा से एक मोबाइल छीना था जिसको हमनें बेच दिया और मोटरसाइकिल को आज हम बेचने की फिराक में घूम रहे थे कि पुलिस चेकिंग में पकड़े गये। हम दोनों इसी तरह की घटना करके पैसा कमाते है और उसी पैसे से मौजमस्ती की जिन्दगी जीने का शोक पड गया है इसी कारण इस तरह की घटनायें करते हैं।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम/पता

1. राजन पुत्र बाबूलाल निवासी यूनियन बैंक के पास आरा कम्पाउण्ड गोकलपुरी थाना गोकलपुरी दिल्ली, उम्र करीब 19 वर्ष।

2. सोएब उर्फ गोलू पुत्र अबरार निवासी अशोक विहार पुराना चैक पोस्ट लोनी थाना लोनी गाजियाबाद, उम्र करीब 25 वर्ष।

बरामदगी का विवरण

चोरी की 01 मोटरसाइकिल बरामद।

आपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग-

अभियुक्तों के विरूद्ध दिल्ली में वाहन चोरी के सम्बध में 01 अभियोग पंजीकृत है तथा थाना लोनी पर मोबाइल छिनैती व चोरी का माल बरामदगी के संबंध में कुल 02 अभियोग पंजीकृत हैं अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार करने वाली टीम

थाना लोनी पुलिस टीम।

स्वाट टीम डीसीपी ग्रामीण जोन तथा थाना मुरादनगर पुलिस द्वारा चोरी की कार के साथ 03 अभियुक्त गिरफ्तार।

दिनांक 13.12.2024 को स्वाट टीम डीसीपी ग्रामीण जोन व थाना मुरादनगर पुलिस टीम द्वारा संयुक्त रुप से की जा रही गश्त/चेकिंग के दौरान चोरी की कार के साथ 03 अभियुक्तों 1. अजीम पुत्र मोमीन खान निवासी अमन गार्डन निठोरा रोड थाना लोनी गाजियाबाद, उम्र करीब 22 वर्ष 2. अहसान पुत्र मौहम्मद फैय्याज निवासी अमन गार्डन निठोरा रोड थाना लोनी गाजियाबाद, उम्र करीब 24 वर्ष 3. मौहम्मद फिरोज पुत्र अब्दुल हकीम निवासी पीर वाली गली प्रेम नगर थाना लोनी गाजियाबाद, उम्र करीब 34 वर्ष को अटोर कट पाईप लाईन रोड मुरादनगर से गिरफ्तार

किया गया। उपरोक्त चोरी की गई कार के संबंध में थाना क्राइम ब्रांच दिल्ली पर अभियोग पंजीकृत है। अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

<u>पूछताछ का विवरण-</u>

अभियुक्तों ने पूछताछ के दौरान बताया कि यह कार कालू उर्फ रिंकू ने हमें खरखडी स्टेशन लोनी के पास बेचने के लिए दी थी और हम तीनों लोग इस कार की असली नम्बर प्लेट बदलकर फर्जी नम्बर प्लेट लगाकर बेचने के लिए ले जा रहे थे कि पुलिस चेकिंग में पकड़े गये। हम कालू उर्फ रिंकू का पता नहीं जानते हैं वह हमें खरखडी स्टेशन पर ही मिलता है।

<u>गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम/पता-</u>

1.अजीम पुत्र मोमीन खान निवासी अमन गार्डन निठोरा रोड थाना लोनी गाजियाबाद, उम्र करीब 22 वर्ष।

2.अहसान पुत्र मौहम्मद फैय्याज निवासी अमन गार्डन निठोरा रोड लोनी गाजियाबाद, उम्र करीब 24 वर्ष।

3. मौहम्मद फिरोज पुत्र अब्दुल हकीम निवासी पीर वाली गली प्रेम नगर थाना लोनी गाजियाबाद, उम्र करीब 34 वर्ष।

<u>वांछित अभियुक्त का नाम/पता-</u>

1.कालू उर्फ रिंकू

<u>अपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग-</u>

उक्त बरामद कार के संबंध में थाना क्राइम ब्रांच दिल्ली पर वाहन चोरी का 01 अभियोग पंजीकृत है तथा थाना मुरादनगर पर चोरी की कार बरामदगी का 01 अभियोग पंजीकृत किया गया है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

<u>बरामदगी का विवरण-</u>

चोरी की 01 कार स्विफ्ट बरामद।

<u>गिरफ्तारी/बरामदगी करने वाली टीम-</u>

स्वाट टीम डीसीपी ग्रामीण जोन तथा थाना मुरादनगर पुलिस टीम।

<u>क्राईम ब्रान्च पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद द्वारा वर्ष 2008 से वाँछित / पुरस्कार घोषित अपराधी गिरफ्तार</u>

अवगत कराना है कि श्री केदारनाथ निवासी डासना थाना मसूरी ने दिनाँक- 20/04/2008 को सूचना दी कि यूसुफ पुत्र सलीमुद्दीन निवासी मसूरी गाजियाबाद उनकी 16 वर्षीय पुत्री को बहला फुसलाकर अपहरण कर ले गया है जिस पर तत्काल कार्यवाही करते हुए थाना मसूरी पर अभियोग पंजीकृत किया गया और दौराने विवेचना अभियोग मे प्रकाश मे आये अभियुक्तगण 1.सलीमुद्दीन, 2.करीमुद्दीन, 3.अय्यूब, 4.अज्जू उर्फ अयाज व 5.आरिफ तसलीम आदि को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था लेकिन अभियोग के प्रमुख अभियुक्त यूसुफ की गिरफ्तारी व अपहृता की बरामदगी नही हो सकी जिसके पश्चात अभियुक्त की कुर्की की कार्यवाही अमल मे लायी गयी और अभियुक्त को मफरूर घोषित करते हुए आरोप-पत्र माननीय न्यायालय प्रेषित कर दिया गया था तथा तभी से दोनो की तलाश जारी थी।

दिनाँक- 14/12/2024 को क्राईम ब्रान्च पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद द्वारा उपरोक्त अभियोग मे वाँछित / पुरस्कार घोषित अपराधी यूसुफ को थाना मसूरी क्षेत्र से गिरफ्तार करने मे महत्तवपूर्ण सफलता हासिल की गयी। अभियुक्त यूसुफ वर्ष 2008 से फरार चल रहा था जिसकी गिरफ्तारी पर अतिरिक्त पुलिस आयुक्त (अपराध / मुख्यालय) गाजियाबाद द्वारा दिनाँक-18/05/2024 को रू0 50,000/- का पुरस्कार घोषित किया गया था।

<u>पूछताछ का विवरण-</u> पूछताछ पर अभियुक्त यूसुफ ने बताया कि इसने वर्ष 2004-2005 में B.sc की पढाई पूरी की थी और आमदनी के लिए बच्चो को गणित विषय में ट्यूशन देता था और वादी मुकदमा के पुत्रो को गणित विषय में ट्यूशन देने उनके घर जाता था। वही पर अभियुक्त यूसुफ की मुलाकाल वादी मुकदमा की पुत्री से हुई। दिनाँक-19/04/2008 को यूसुफ वादी मुकदमा

की पुत्री को बहला-फुसलाकर ले गया था दोनो नें शादी कर ली। शादी करने के बाद नूँह हरियाणा में मजदूरी करने लगा पढा लिखा होने के कारण बाद में एक प्राईवेट स्कूल मे पढाने लगा था तथा घर पर भी दोनो लोग कक्षा 6,7 व 8 के बच्चों को ट्यूशन पढाकर अपना खर्चा चलाने लगे। दोनो नें उसी समय से अपने परिवार वालों से समस्त सम्पर्क तोड दिये थे। वर्ष 2008 से अभी तक दोनो के बारे में किसी को कुछ पता नही था। वर्तमान समय मे इनके तीन बच्चे है।

<u>गिरफ्तार अभियुक्तगण का विवरण</u>-

1.यूसुफ सैफी पुत्र सलीमुद्दीन निवासी कस्बा व थाना मसूरी गाजियाबाद हाल पता ग्राम भादस थाना नगीना जिला नूँह हरियाणा

<u>आपराधिक इतिहास-</u>

अभियुक्त यूसुफ के विरूद्ध गाजियाबाद मे मु0अ0स0-242/2008 धारा-363/366/368 भादवि पंजीकृत है।

गिरफ्तार करने वाली टीम-

1.क्राईम ब्रान्च पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद

2.थाना मसूरी पुलिस टीम

<u>थाना साइबर क्राइम, पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद द्वारा शेयर ट्रेडिंग फ्राड करने वाला अभियुक्त गिरफ्तार, 04 राज्यों की 04 घटनाओं का खुलासा, घटना मे प्रयुक्त मोबाइल बरामद।</u>

दिनांक 07.05.2024 को वादी श्री उमेश कुमार को व्हाट्सएप ग्रुप HNI ACCOUNT में जोड़ा गया तथा लिंक भेजकर फर्जी शेयर ट्रेडिंग एप E-Trades में एकाउन्ट खुलवाकर निवेश के बहाने दिनांक 07.05.2024 से दिनांक 08.07.2024 तक वादी से कुल 67,51,409/-रूपये भिन्न-2 खातों में ट्रांसफर कराकर ठगी की गई। उक्त घटना के सम्बन्ध में वादी श्री उमेश कुमार द्वारा दिनांक 09.07.2024 को थाना साइबर क्राइम पर अभियोग पंजीकृत कराया गया। अभियोग की विवेचना के दौरान साक्ष्य संकलन पर दिनांक 13.12.2024 को अभियुक्त देवेश गौर पुत्र मदन मोहन गौर निवासी बी-256 सरस्वती नगर थाना भगत की कोठी जनपद जोधपुर, राजस्थान (उम्र करीब-22 वर्ष) को कोतवाली क्षेत्र गाजियाबाद से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त की गिरफ्तारी से 04 राज्यों आन्ध्र प्रदेश के जिला गुंटूर, पश्चिम बंगाल के जिला कोलकाता, तेलंगाना के साइबराबाद एंव उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद की कुल 04 घटनाओं का अनावरण हुआ है।

<u>पूछताछ का विवरण</u>

अभियुक्त देवेश गौर ने बताया कि उस पर काफी लोगों का कर्ज हो जाने की वजह से वह इस काम में लिप्त हुआ। उसने छैल सिंह राठौर को अपना बैंक खाता बेचा था । छैल सिंह राठौर ने खातें मे जो भी पैसा आयेगा उसे बराबर-बराबर बाटने की बात कही थी । छैल सिंह को उक्त खाते की पासबुक, चैक बुक, एटीएम दे दिये थे। मेरे इस खाते में लेन- देन से सम्बन्धित जो मैसेज व ओटीपी आते थे, उन्हे वह छैल सिंह राठौर को देता था। छैल सिह राठौर ने देवेश गौर के नाम पर मनोहर ज्वैलर्स जोधपुर के यहाँ से 1.88 लाख के जेवरात खरीदे थे तथा उसका पेमेंट देवेश गौर के खाते से किया था। मनोहर ज्वैलर्स जोधपुर से दुकान की सीसीटीवी फुटेज में छैल सिंह राठौर द्वारा खरीददारी करने का वीडियो प्राप्त हुआ है। यह ज्ञात हुआ है कि छैल सिह राठौर काफी दिनों से साइबर अपराध में लिप्त है तथा पुलिस की पकड़ से बचा हुआ है। छैल सिह राठौर की गिरफ्तारी के प्रयास किये जा रहे है।

<u>गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण</u>

देवेश गौर पुत्र मदनमोहन गौर निवासी बी-256 सरस्वती नगर थाना भगत की कोठी जनपद जोधपुर, राजस्थान (उम्र करीब-22 वर्ष) शिक्षा-बी0टेक

शेयर ट्रेडिंग फ्रौड हेतु प्रयोग किया गया कूट रचित मोबाइल एप

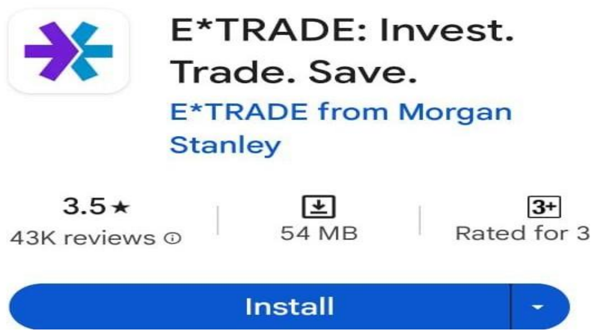

थाना शालीमार गार्डन पुलिस टीम द्वारा फोन चोरी की घटना कारित करने वाले 04 शातिर अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से चोरी के 08 मोबाइल फोन व चोरी की 01 मोटर साइकिल बरामद ।

कार्यवाही का विवरणः दिनांक 13.12.2024 को थाना शालीमार गार्डन पुलिस टीम द्वारा चेकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना के आधार पर मोबाइल फोन चोरी की घटना कारित करने वाले 04 शातिर अभियुक्त 1. शाहरूख पुत्र मो0 युसुफ निवासी- A-20 भौपुरा तुलसी निकेतन थाना टीलामोड़ गाजियाबाद उम्र 28 वर्ष, 2. आयुष पुत्र मो0 इकबाल निवासी पुरानी E-6/342 सीमापुरी सनलाइट कॉलोनी थाना सीमापुरी दिल्ली उम्र 20 वर्ष, 3. मो0 शाहिद पुत्र मो0 आजाद निवासी मकान नं0 241-एल ब्लांक सुन्दरनगरी उम्र 23 वर्ष, दानिश पुत्र गुड्डू निवासी गली नं0 6 सनलाइट कालोनी सीमापुरी थाना सीमापुरी दिल्ली उम्र-18 वर्ष को ताहिरपुर कट के पास थाना शालीमार गार्डन कमिश्नरेट गाजियाबाद से गिरफ्तार किया गया। जिनके कब्जे से चोरी के 08 मोबाइल फोन व चोरी की 01 मोटर साइकिल बरामद हुई । गिरफ्तार अभियुक्तगण उपरोक्त के विरुद्ध सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरणः गिरफ्तार अभियुक्तगण उपरोक्त से बारी-बारी से पूछताछ करने पर यह तथ्य प्रकाश में आये कि उक्त मोटर साइकिल को करीब 03 माह पहले दिल्ली से चोरी की थी। इस मोटर साइकिल के माध्यम से मोबाइल फोन चोरी की घटना कारित करते थे। दो अभियुक्त मोटर साइकिल पर सवार व दो अभियुक्त बस में रहकर बस के माध्यम से रात के समय ऑफिस से आने जाने वाले व्यक्तियों के मोबाइल फोन चोरी कर अपने अन्य दो साथी जोकि मोटर साइकिल पर सवार रहते थे उनको पकड़ा देते थे। बाद में चोरी किये गये मोबाइल फोन को दिल्ली में बेच देते थे। इसी क्रम में बरामद चोरी के मोबाइल फोन अभियुक्तगण उपरोक्त बेचने की फिराक में दिल्ली जा रहे थे।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता

1. शाहरूख पुत्र मो0 युसुफ निवासी- A-20 भौपुरा तुलसी निकेतन थाना टीलामोड़ गाजियाबाद उम्र 28 वर्ष।
2. आयुष पुत्र मो0 इकबाल निवासी पुरानी E-6/342 सीमापुरी सनलाइट कॉलोनी थाना सीमापुरी दिल्ली उम्र 20 वर्ष।
3. मो0 शाहिद पुत्र मो0 आजाद निवासी मकान नं0 241-एल ब्लांक सुन्दरनगरी उम्र 23 वर्ष।
4. दानिश पुत्र गुड्डू निवासी गली नं0 6 सनलाइट कालोनी सीमापुरी थाना सीमापुरी दिल्ली उम्र 18 वर्ष।

<u>बरामदगी का विवरण</u>

- चोरी के 08 मोबाइल फोन व चोरी की 01 मोटर साइकिल ।

<u>गिरफ्तार अभियुक्तगण का अपराधिक इतिहास</u>

- गिरफ्तार अभियुक्तगण उपरोक्त के विरुद्ध दिल्ली में चोरी का 01 अभियोग पंजीकृत व थाना शालीमार गार्डन पर अन्तर्गत धारा 317(2),317(5) बी.एन.एस. चोरी का माल बरामदगी संबंधी 01 अभियोग पंजीकृत है। अन्य अपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

<u>गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम</u>

थाना शालीमार गार्डन पुलिस टीम।

थाना लिंक रोड पुलिस टीम द्वारा घरों में घुसकर चोरी करने वाला 01 शातिर अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से अभियोग से सम्बन्धित 4200 /-रुपये, 03 नल की टूटी हुई टोटियाँ व गृहभेदन के अपराध में प्रयुक्त औजार (01 लोहे की छैंनी व 01 हथौडा) बरामद।

<u>कार्यवाही का विवरण</u>: दिनांक 18.11.2024 को थाना लिंक रोड़ पर वादिया द्वारा लिखित तहरीर दी गई कि अज्ञात व्यक्ति द्वारा वादिया के घर से 02 मोबाइल फोन व सोने की 02 चूडियाँ व 01 लॉकेट को चोरी कर ले जाने के सम्बन्ध में, दिनांक 10.12.2024 को वादी श्री मनोज कुमार अग्रवाल निवासी सी-25 चन्दर नगर गाजियाबाद की तहरीर की सूचना पर बाबत अज्ञात चोर द्वारा वादी के घर में घुसकर 20 पीतल की टोटी नल कीमत लगभग 20,000/-रुपये चोरी कर ले जाने व दिनांक 28.09.2024 को वादी श्री ईशान शुक्ला पुत्र उमेश चन्द्र निवासी बी 123 रामपुरी थाना लिंकरोड गाजियाबाद की ऑनलाइन तहरीर की सूचना पर अज्ञात चोरों द्वारा वादी के घर के पीछे से जंगला की ग्रिल तोड़कर घर के अन्दर से लैपटाप एच.पी कम्पनी LTIN52780, 4,000/-रूपये तथा हेड़फोन चोरी कर ले जाने तथा दिनांक 04.09.2024 को वादी श्री दीपक अरोडा पुत्र स्व0 पी0एन0 अरोडा निवासी बी-2/3 एम बी-3 रामप्रस्था कॉलोनी गाजियाबाद की तहरीर की सूचना पर बाबत अज्ञात चोर द्वारा वादी के घर के कमरे की खिडकी का जाल/जंगला काटकर अलमारी में रखे 5 लाख रुपये नगद चोरी कर ले जाना के सम्बन्ध में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया। तत्काल थाना लिंक रोड़ पुलिस टीम द्वारा टीमें गठित कर मैनुअल इनपुट, सीसीटीवी फुटेज व मुखबिर की सूचना के आधार पर दिनांक 13.12.2024 को उक्त घटना को कारित करने वाले शातिर अभियुक्त समीर हुद्दा उर्फ गोलची पुत्र मौ0 बुधवा निवासी साहिबाबाद मन्डी, थाना लिंकरोड, गाजियाबाद मूल निवासी गांव जैबकोर, थाना बन्दरझूला, जिला किशनगंज, बिहार, उम्र करीब 27 वर्ष को रामप्रस्था दिल्ली बॉर्डर से गिरफ्तार किया गया। जिसके कब्जे से अभियोग से सम्बन्धित 4200 /-रुपये, 03 नल की टूटी हुई टोटियाँ व गृहभेदन के अपराध में प्रयुक्त औजार (01 लोहे की छैंनी व 01 हथौडा) बरामद हुआ। गिरफ्तार अभियुक्त समीर हुद्दा उर्फ गोलची पुत्र मौ0 बुधवा उपरोक्त के विरुद्ध आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

<u>पूछताछ का विवरण</u>: गिरफ्तार अभियुक्त उपरोक्त से पूछताछ करने पर यह तथ्य प्रकाश में आये कि करीब 03 महीने पहले रेलवे लाइन महाराजपुर की तरफ से आकर बी ब्लाक रामप्रस्था के एक घर के पीछे की तरफ की ग्रिल को छैंनी और हथौडे की मदद से काटकर घर में घुसकर 05 लाख रुपये चोरी किए थे,जो कि मैं सूखा नशा करने और जुआ खेलने का आदी है, इसलिए वो रुपये मैंने जुआ सट्टा खेलने और सूखा नशा कर मौज मस्ती करने में उडा

दिये,उन रुपयों में से मुश्किल से 2,200/- रुपये बचे हैं। इसके बाद रामपुरी कॉलोनी के एक घर में भी करीब 02 महीने पहले पीछे की तरफ से ही घुसकर घर से एक लैपटाप, और 3,000/- या 4,000/- रुपये चुराये थे,जो कि लैपटाप एक राह चलते व्यक्ति को 2,000/- रुपये में बेच दिया था जिसमें से 1,000/- रुपये बचे है। इसके बाद दो कंगन,गले का हार और मोबाइल फोन मैंने राह चलते व्यक्तियों को बेच दिया तथा लॉकेट को मैंने एक राह चलते व्यक्ति को 2,000/- रुपये में बेच दिया था जिसमें से 1,000/- रुपये बचे है। इसके बाद करीब एक महीने पहले बी ब्लाक सूर्यनगर के एक घर के पीछे की तरफ से दिल्ली बॉर्डर की तरफ से पेड़ के सहारे चढकर एक घर में घुसकर घर से दो कंगन,एक गले का हार,लॉकेट व दो मोबाइल फोन भी चोरी कर लिए थे। तीनों चोरियों से सम्बन्धित अभियुक्त के पास से शेष बचे कुल 4,200/- रुपये बरामद हुये है।

<u>गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता</u>

समीर हुद्दा उर्फ गोलची पुत्र मौ0 बुधवा निवासी साहिबाबाद मन्डी, थाना लिंकरोड, गाजियाबाद मूल निवासी गांव जैबकोर, थाना बन्दरझूला, जिला किशनगंज, बिहार, उम्र करीब 27 वर्ष।

<u>बरामदगी का विवरण</u>

अभियोग से सम्बन्धित 4200 /-रुपये, 03 नल की टूटी हुई टोटियाँ व गृहभेदन के अपराध में प्रयुक्त औजार (01 लोहे की छैंनी व 01 हथौडा) बरामद।

<u>गिरफ्तार अभियुक्त का आपराधिक इतिहास</u>

गिरफ्तार अभियुक्त समीर हुद्दा उर्फ गोलची पुत्र मौ0 बुधवा उपरोक्त के विरुद्ध थाना लिंकरोड़ चोरी, चोरी का माल बरामदगी, लूट, मारपीट तथा आर्म्स एक्ट से सम्बन्धित 08 अभियोग व थाना इन्दिरापुरम पर चोरी के सम्बन्ध में 01 पंजीकृत है। कुल 09 अभियोग पंजीकृत है।

क्र0स0	**मु0अ0स0**	**धारा**	**थाना**	**जनपद**
1	2220/2014	380/457 भादवि0	इन्दिरापुरम	गाजियाबाद
2	463/2015	4/25 A.ACT	लिंकरोड	गाजियाबाद
3	415/2023	307/394 भादवि	लिंकरोड	गाजियाबाद
4	428/2023	392/411 भादवि	लिंकरोड	गाजियाबाद
5	431/2023	411/414 भादवि 25/3 A.ACT	लिंकरोड	गाजियाबाद
6	280/24	331(4),305बीएनएस	लिंकरोड	गाजियाबाद
7	305/24	305ए,331(2)बीएनएस,	लिंकरोड	गाजियाबाद
8	371/2024,	305 बीएनएस	लिकंरोड	गाजियाबाद
9	388/24	305,324(4) बीएनएस	लिंकरोड	गाजियाबाद

<u>गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम</u>

थाना लिंक रोड पुलिस टीम।

थाना कविनगर पुलिस टीम द्वारा कार में बैठकर घूमते हुये टैली कॉलिंग कर क्रेडिट कार्ड धारकों को रिवार्ड पाइन्ट रिडीम करने का लालच देकर व उनको अपनी बातों में फसाकर साइबर ठगी करने वाले 04 अभियुक्तगण गिरफ्तार, कब्जे से 3 **कीपैड मोबाइल फोन नोकिया मय सिम कार्ड , 11 एंड्रायड फोन विभिन्न कंपनियों के , 20 अन्य पेज जिन पर क्रेडिट कार्ड धारकों के नाम सहित मोबाइल नंबरों का डाटा उपलब्ध है व 03 पेज नाम सहित मोबाइल नम्बरो की सूची बरामद**

घटना का विवरण:- दिनांक 14.12.2024 को थाना कविनगर पुलिस टीम द्वारा क्रेडिट कार्ड धारको के मोबाइल पर काल कर रिवार्ड पाईन्ट रिडीम कराने का लालच देकर ऑनलाइन वित्तीय धोखाधडी करने के सम्बन्ध मे 04 अभियुक्तगण (1) सन्दीप कुमार पुत्र भोला प्रसाद नि0 नरायच थाना मोदा जनपद हमीरपुर हाल पता म0न0 697 नई बस्ती नन्दग्राम गाजियाबाद उम्र 24 वर्ष (2) राहुल कुमार पुत्र राधेश्याम नि0 म0न0 सी1/612 गली नं0 22 हर्ष बिहार मण्डोली रोड दिल्ली उम्र 24 वर्ष (3) अमन गोस्वामी पुत्र घनश्याम निवासी राजनगर कलोनी गली नंबर 4 लोनी बार्डर गाजियाबाद उम्र 21 वर्ष (4) सुभाष गिरी उर्फ सोनू पुत्र भीम सिंह गिरी नि0 बी 68 गोकलपुर विलेज थाना गोकुलपुरी दिल्ली उम्र 40 वर्ष को आईएमटी के पास राजनगर सर्विस रोड से गिरफ्तार कर कब्जे से 3 की पैड मोबाइल फोन नोकिया मय सिम कार्ड , 11 एंड्रायड फोन विभिन्न कंपनियों के , 20 अन्य पेज जिन पर क्रेडिट कार्ड धारकों के नाम सहित मोबाइल नंबरों का डाटा उपलब्ध है व 03 पेज नाम सहित मोबाइल नम्बरो की सूची से बरामद हुई है। गिरफ्तार अभियुक्तगणों के विरुद्ध अभियोग अन्तर्गत धारा 319(2)/318(4)/61(2)/111/3(5) बीएनएस व 66डी/67 आईटी एक्ट पंजीकृत किया गया है। आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्तो का नाम पता-

1) सन्दीप कुमार पुत्र भोला प्रसाद नि0 नरायच थाना मोदा जनपद हमीरपुर हाल पता म0न0 697 नई बस्ती नन्दग्राम गाजियाबाद उम्र 24 वर्ष

(2) राहुल कुमार पुत्र राधेश्याम नि0 म0न0 सी1/612 गली नं0 22 हर्ष बिहार मण्डोली रोड दिल्ली उम्र 24 वर्ष

(3) अमन गोस्वामी पुत्र घनश्याम निवासी राजनगर कलोनी गली नंबर 4 लोनी बार्डर गाजियाबाद उम्र 21 वर्ष

(4) सुभाष गिरी उर्फ सोनू पुत्र भीम सिंह गिरी नि0 बी 68 गोकलपुर विलेज थाना गोकुलपुरी दिल्ली उम्र 40 वर्ष

अपराध करने का तरीका - गिरफ्तार अभियुक्तगणों से उनके काम करने के तरीके के बारे में पूछा तो बताया कि हम लोग इस कार में बैठकर टेली कलिंग का कार्य करते हैं और हमारे साथ अन्य लोग भी है जिनके नाम अजीत पुत्र नामालूम व अन्य कई लोग है उनके नाम व पता पूछने पर सभी ने एक सुर में बताया कि हमारा फोन के माध्यम से ही सम्पर्क होता है उनसे मुलाकात नही होती है। वही हम लोगों को नम्बरों का डाटा उपलब्ध कराता है। तथा हमसे उपलब्ध डाटा में क्रेडिट कार्ड धारकों के मोबाइल नंबर पर कॉल कर उन्हें रीवार्ड प्वाइंट रिडीम करने में ज्यादा लालच देकर उनके साथ वित्तीय धोखाधड़ी करवाता है तथा अजीत ही हमें मोबाइल फोन व सिम कार्ड उपलब्ध कराता है उसके पते के विषय में हमें कुछ भी मालूम नही है। हम कविनगर क्षेत्र में कई जगहों पर रुक रुक कर कॉलिंग करते है तथा हमें प्रिंट निकाल कर कागज दिए जाते हैं जिन पर क्रेडिट कार्ड धारकों के नाम व कार्ड मोबाइल नंबर अंकित होते हैं जिन्हें हमें कॉल करना होता है उन्हें रिवार्ड पॉईट पर रिडीम करने का लालच दिया जाता है जिसमें लोगों की मदद करने के बहाने हम उन्हें अपनी बातों में फंसा कर लिंक भेजकर दूसरा क्रेडिट कार्ड बनवाने के लिए, फर्जी पोर्टल बनवाकर उनसे डिटेल डलवाते हैं जिसमें उनकी सारी डिटेल हमारे पास आ जाती है जिसे हम बाद में अपनी फर्जी साइट यूजर इंटरफेस के माध्यम से रिडीम कर लेते हैं जिससे हम कुछ भी शोपिग कर लेते हैं तथा कुछ पैसा बैंक खातों मेंट्रांसफर कर लेते हैं जिसको हमें दिए गए टारगेट के अनुसार कमीशन मिलता है।

बरामदगी –3 कीपैड मोबाइल फोन नोकिया, सिम कार्ड , 11 एंड्रायड फोन विभिन्न कंपनियों के , 20 अन्य पेज जिन पर क्रेडिट कार्ड धारकों के नाम सहित मोबाइल नंबरों का डाटा उपलब्ध है व 03 पेज नाम सहित मोबाइल नम्बरो की सूची व घटना में प्रयुक्त एक कार एक्सेन्ट रंग सफेद नंबर DL1ZA3763

आपराधिक इतिहास- अभियुक्त अमन के विरुद्ध थाना इन्दिरापुरम पर साईबर फ्राँड सम्बन्धी अभियोग पंजीकृत है।

गिरफ्तार करने वाली टीमः- थाना कविनगर पुलिस टीम